डिक्री या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
जो इ

12.042024:—आज पत्रावली पेशी मे आई। प्रार्थी वकील उपस्तिथ। वादी का मूल वादपत्र डिकी हो गया। मूल वाद पत्र डिकी होने के कारण प्रार्थना—पत्र मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। मूल वादपत्र डिकी होने के कारण प्रार्थी उक्त प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. मे वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.05.06 17:11:20 IST
Reason: SelfAttested